

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपस्थित अधिकारी उपस्थित अधिकारी मुकाम नीमराणा
 अजीत सिंह बनाम डामन चौहान
 क्रमा डावा नं० 198 सन् 2023

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>25-5-23 आज यह वाद का बकील वादी ने पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो। धर्मवादीगण अरिथे रजिस्टर्स समान तलवावा से तलव हो। वाद तलवी क्रि. 26-6-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">by उपस्थित अधिकारी नीमराणा (तलव) उद.</p> <p>26.6.23 माम पत्रावली पेश। दुर्गी पत्रावली में डाक रसीद पेश। दुर्गी शाकीक रीटों व प्रवेवादी सं० 15 व 17 भी कोर्ट को पेश। श्री नोबुकुमार (जागडे) ने 17 वीं अर्जी व प्र. का. सं. 4, 8, 22 भी कोर्ट में पेश की। श्री नोबुकुमार ने पत्रावली माम पेश किया व 11 न 20 वीं अर्जी व भी आदि प्र. का. सं. 1 व 2 का लक्षणा पेश किया।</p>	<p>Under taking No-15 व 17 (श्री नोबुकुमार जागडे एड.)</p>

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स लज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

अज यह कार्यवाही हो रही है... की... के
वकील व्यक्ति है... को समय
बताने है। कार्यवाही बताने... को देना है।
दिनांक 20/5/20 को देना है।

उपस्थंड अधिकारी
गौतम (कोटपुली-बरेली)

13.5.20 को मग मह पत्रावली की
वकील के प्रत्यक्ष पर तलब
होकर पेठा डुर्गा कादी के
प्रत्यक्ष में निवेदन किया
है कि एक पत्रकारिता में भिन्न
यह होगा ही बाद जब
नोट प्रेष कलम चढ़ाई की
पत्रावली के बाद जब वादी
होय नोट प्रेष कलम पर
बाद वादी नोट प्रेष में
न्यायिक किताब का है
पत्रावली जिसके शुभारंभ है
जम्मा है का को का
पूर्व सामिल है।

नोट प्रेष

डा. जी. त.

उपस्थंड अधिकारी
गौतम (कोटपुली-बरेली)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)


अजीत सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र जाति राजपूत निवासी कुतीना तह0 नीमराना
बनाम

अमन चौहान पुत्र देवेन्द्र जाति राजपूत निवासी कुतीना तह0 नीमराना

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0 150 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>25.05.2023 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित — आराजी — खसरा — नम्बर — हाल 1705,1706,1707,1708,1710,1711 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। वास्ते तलबी रजि0 अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को पेश हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

4/24 आज यह पत्रावली भेष हुई ... के
यकील उपस्थित है. ... को समझ
चाहते है। पत्रावली वास्ते ...
दिनांक ... को भेष है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

1 काम यह पत्रावली मुझ को
के साथ पत्रावली मुझ को
गोरे केस के अन्तिम दोपहर
है। जाकी 2 जावान को गोरे
प्रेस जाकिता है। अन्तः जाकी
का जापक 272 अन्तः गोरे
प्रेस के लालि किता
जाति है। पत्रावली के अन्तः
मुझ को गोरे अन्तः है क
है। अन्तः मुझे संलग्न मुझ
का है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)